भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5109
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी योजनाएं</u>

5109. श्री ए. राजा: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय कंपनियां सौर ऊर्जा संघटकों के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं जिससे भारतीय सौर कंपनियों की क्षमताओं में बाधा उत्पन्न हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा आगामी वर्षों में सौर उपकरण विनिर्माण के पूर्ण परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। देश में कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

(ख) और (ग): वर्तमान में, दिनांक 17.02.2025 को जारी मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची के अनुसार, देश में स्थापित सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग 67 गीगावाट है। सौर पीवी निर्माता संघों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, देश में वर्तमान सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता लगभग 25 गीगावाट है। देश में स्थापित इंगोट और वेफर विनिर्माण क्षमता लगभग 2 गीगावाट है। वर्तमान में देश में पॉलीसिलिकॉन का कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं है। सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की उपरोक्त विनिर्माण क्षमता में लगभग 3.2 गीगावाट पूर्णतः एकीकृत थिन फिल्म सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता शामिल है, जो आयातित सौर सेलों, वेफरों और पॉलीसिलिकॉन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि विनिर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से एकीकृत है और विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी प्रमुख चरण भारत में होते हैं। देश में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, सौर पीवी सेलों के लिए कुछ आयात निर्भरता है और वेफ़रों के लिए आयात निर्भरता और भी अधिक है। तथापि, सरकार ने भारत में सौर उपकरण विनिर्माण के पूरे ईकोसिस्टम को विकसित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ अनुलग्नक-**II** में उल्लिखित उपाय भी शामिल हैं।

अनुलग्नक-**I**

'सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5109 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन, सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बजत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)।

अनुलग्नक-**II**

'सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5109 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

भारत में सौर उपकरण विनिर्माण के संपूर्ण तंत्र (इकोसिस्टम) को विकसित करने के लिए की गई पहलों का विवरण

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: भारत सरकार ने 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लागू कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की घरेलू विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। चरण-I में 4,500 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसके तहत 8,737 मेगावाट की पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं। चरण-II में 19,500 करोड़ रुपये के परिव्यय से 39,600 मेगावाट की पूरी तरह से/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं।

(ii) स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, घरेलू स्रोतों से सौर पीवी सेल और मॉड्यूल की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता: 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है और यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50% होनी चाहिए।

(iv) सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क लगाना: सरकार ने सौर पीवी सेलों, सौर पीवी मॉड्यूलों और सौर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना: एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

*****